अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखेंअभिलेख हस्तक, १६४१कानियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0–147/2012

म0 सहाबुद्दीन

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
27.10.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा के ज्ञापांक 1188 दिनांक 29.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी गड़खा के पत्रांक 98 दिनांक–03.09.12 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा को मो0 शहाबुद्दीन, ज0वि0प्र0वि0 पंचायत मोतीराजपुर प्रखंड–गड़खा के विरूद्व प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–1027 दिनांक–11.09.12 के द्वारा निम्नलिखित विन्दुओं पर विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया– 1. उपाबंटित खाद्यान अन्त्योदय/बी0पी0एल0 माह सितम्बर 2012 के विरूद्ध निफ्ट के माध्यम से राशि जमा नहीं किया गया है। 2. पूर्व में भी कार्यालय में निफ्ट नहीं जमा कर, स्वयं रा0खा0 निगम में जमा किया जाना। 3. बार–बार नियम का उल्लंघन किया जाना। 4. माह सितम्बर 2012 का निफ्ट की राशि जमा नहीं होने के कारण उपावंटित खाद्यान व्यगत होने की प्रबल संभावना है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 1027/गो0 दिनांक 11.09.2012 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1188 दिनांक 29.10. 2012 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदक अपने पिता एवं माता की बिमारी की वजह से समय पर कारण पृच्छा का जबाव दाखिल नही कर सके। उनके पिता की मृत्यु 16.08..2012 को हो जाने एवं माता के बिमार रहने के कारण उपावंटित खाद्यान्न का कागजात कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। सितम्बर–12 का अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 का खाद्यान्न दिनांक–24.09.12 को चेक सं0–19337 एवं 19338 के द्वारा रूपया 3334 एवं 22488 जमा किया गया। उन्हें सुनवाई का मौका दिये बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति	

Appurtiappeal Judgement 08-13 Ashok bhaitha

रद्द कर दी गई जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै पाता हूँ कि उक्त विक्रेता द्वारा माह सितम्बर 2012 के आवंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु निफ्ट समय पर जमा नहीं किए जाने के कारण अन्त्ययोदय एवं बी0पी0एल0 का खाद्यान्न व्ययगत होने एवं अगले माह के खाद्यान्न को व्ययगत होने की बात को हल्के में नही लिया जा सकता है। विकेता के द्वारा सुनवाई के कम में दिया गया जवाब संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं है।

मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधानों के बिपरीत आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। मै अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करता हूँ। अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित
23/10/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/10/16
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1372 दिनांक 03.11.16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/11/16
वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
03/11/16